टेलीफोन: 23010231 / 7171

वायु सेना मुख्यालय
वायु भवन
नई दिल्ली – 110106

वासेमु / गो 40651 / पीए (सीपीसी)

08 अगस्त 13

वितरण सूची के अनुसार

<u>पदोन्नति नीति : एनसी (ई)</u>

<u>सन्दर्भ</u> – (क) वासेमु / 40283 / 12 / पीए (सीपीसी) / 1741 / डीओआई / डी(एयर–III) दिनांक 26 दिसम्बर 95.

(ख) वासेमु / गो 40651 / पीए (सीपीसी) दिनांक 30 अगस्त 06 (मानव संसाधन नीति 31 / 06)

<u>प्रस्तावना</u>

1. सरकार ने भावासे मे एनसी(ई) की श्रेणी मे एनसी(ई) टिंडल के 1066 पद स्वीकृत किए हैं। ये पद एनसी(ई) की स्थापना के 1 : 9 के अनुपात में प्रतिबंधित किये जाये। वे सभी एनसी(ई), जिन्होंने पदोन्नति पैनल वर्ष के पूर्व वर्ष के 30 जून तक (अर्थात् पदोन्नति वर्ष 2014–15 के लिए 30 जून 14 तक) 15 वर्ष और उससे अधिक वर्षों की सेवा पूर्ण कर ली है, वे एनसी(ई) टिंडल के पद के लिए पदोन्नति हेतु विचार करने के लिए पात्र होंगे।

<u>पात्रता मानदण्ड</u>

2 एनसी(ई) टिंडल के पद हेतु पदोन्नति पर विचार वरिष्ठता के अनुसार किया जायेगा, बशर्तें वह उत्तरवर्ती अनुच्छेदों मे दिए गए पात्रता मानदण्ड पूर्ण करता हो।

मूल्यांकन रिपोर्टें

3 एनसी(ई) टिंडल के पद हेतु पदोन्नति के लिए पूर्व पाँच वर्षों के लिए मूल्यांकन अंकों पर विचार नीचे दर्शाये गए के अनुसार किया जायेगा:–

अधिकतम अंक	न्यूनतम अंक
500	300

सम्मान और पुरस्कारों का वेटेज

4. सम्मान और पुरस्कारों के लिए अंकों का नियतन नीचे सूचीबद्ध है:

क्रम सं	सम्मान/पुरस्कार	अंक
(क)	राष्ट्रपति पुरस्कार (वीरता/विशिष्ट सेवा)	20
(ख)	CAS/CNS/CoAS द्वारा प्रशंसा	06
(ग)	AOsC-in-Cs/VCAS या समकक्ष (अन्य सेवाओं) द्वारा प्रशंसा	04

नोट:–

(क) सम्मान और पुरस्कारों के लिए कुल अंक पिछले पाँच वर्षों की मूल्यांकन रिपोर्टों में दिए गए अधिकतक अंको अर्थात् 25 अंकों के 5 प्रतिशत से अधिक नहीं होंगे।

(ख) वीरता पुरस्कारों के मामलों में अंक देने के लिए कोई सीमा (प्रतिशत प्रतिबंध) नहीं है।

(ग) एक कैलेण्डर वर्ष मे दुबारा प्रशंसा मिलने के मामलो में, केवल प्रशंसा मे उच्च श्रेणी के अंकों पर ही विचार किया जाएगा।

नकारात्मक अंक

5. एनसी(ई) को पूर्व 5 वर्षों के दौरान प्राप्त किए गए प्रत्येक आचरण प्रविष्टि के लिए नकारात्मक अंक दिए जाएंगे। पहला पेनल बनाने के लिए नकारात्मक अंकों का नियतन केवल तभी प्रभावी होगा, जब कार्मिक का पदोन्नति के लिए विचार किया जाता है। पदोन्नति बोर्ड द्वारा एक बार

नकारात्मक अंकों पर विचार करने के पश्चात् इसके बाद के पदोन्नति पेनलों के लिए यह लागू नहीं होगा। प्रत्येक दण्ड की प्रविष्टि पर नीचे दिए गए के अनुसार नकारात्मक अंक दिए जाएंगे–

क्रम सं.	दण्ड का प्रकार	नकारात्मक अंक
(क)	लाल स्याही प्रविष्टि	10
(ख)	CAS द्वारा गंभीर नाराजगी	06
(ग)	AOsC-in-C / AOA द्वारा गंभीर नाराजगी	05
(घ)	CAS द्वारा नाराजगी	05
(च)	AOsC-in-C / AOA द्वारा नाराजगी	04
(छ)	काली स्याही प्रविष्टि	03

6. मूल्यांकन रिपोर्टों के अंकों, सम्मान और पुरस्कारों के लिए वेटेज और दण्ड के लिए नकारात्मक अंकों पर विचार करने के पश्चात् वरिष्ठता के अनुसार सूची एमपीसी (न्यूनतम निष्पादन मापदण्ड) की पूर्ति के अधीन तैयार की जायेगी।

<u>अभ्यस्त अपराधियों की पदोन्नति</u>

7. अभ्यस्त अपराधी, जिनके मामले अभ्यस्त अपराधी श्रेणी के तहत् डिस्चार्ज के लिए संबंधित कमान मुख्यालयों को भेजे गये है, की पदोन्नति पर विचार नहीं किया जायेगा। ऐसे मामलों को शीघ्र सिगनल द्वारा वासेअका (सीपी विंग के प्रभारी अफसर) को भेजे जाने चाहिए। ऐसे मामलों में वासेअका से पुष्टि के प्राप्त होने के पश्चात् ही पदोन्नतियां प्रभावी की जाये।

<u>चिकित्सा श्रेणी</u>

8. एनसी(ई) की पदोन्नति प्राधिकृत होगी, बशर्ते वे चिकित्सा श्रेणी ए4जी1 / ए4जी2 में हों। चिकित्सा श्रेणी ए4जी3 में पदोन्नति निम्नलिखित शर्तों के अधीन होगी–

(क) चिकित्सा श्रेणी ए4जी3 का उसकी सेवा (ट्रेड) ड्यूटियों के निस्पादन पर प्रभाव नहीं पड़ता।

(ख) ए4जी3 में एनसी(ई) के लिए पदोन्नति के मामले में एओसी / स्टेशन कमांडर / कमांडिंग अफसर द्वारा सिफारिश की गयी हो।

(ग) चिकित्सा श्रेणी ए4जी3 में एनसी(ई) के लिए पदोन्नति पर विचार चिकित्सा प्राधिकारियों द्वारा दी गयी सिफारिशों के अधीन ही किया जाता है।

वरिष्ठता

9. पदोन्नति के उद्देश्य के लिए एनसी(ई) की वरिष्ठता निम्नलिखित के आधार पर नियत की जाये:–

(क) नामांकन फार्म में दिखाये गये के अनुसार एनसी(ई) के रूप में नामांकन की तारीख से ऐसे एनसी(ई) के लिए जिन्होंने सिविलियन के रूप में पिछली सेवा के साथ एनसी(ई) की सेवा प्रारंभ की है।

(ख) एनसी(ई) जोकि सिविल स्ट्रीम से सीधे नामांकित हुए हों और शीघ्र या बाद की तारीख को सामान्य प्रशिक्षण पाठ्यक्रम के लिए तैनात हुए हों, भी नामांकन फार्म में दिखाए गए के अनुसार नामांकन की तारीख से विचारणीय होंगे।

पदोन्नति पैनल बनाना और पदोन्नति की प्रभावी तिथि

10. एनसी(ई) के संबंध में पदोन्नति पैनल की अवधि 01 जुलाई से 30 जून तक की है। पदोन्नति वर्ष (चालू वर्ष के 01 जुलाई से प्रारंभ होकर अगले वर्ष के 30 जून तक) के लिए एनसी(ई) टिंडल के पद में पदोन्नत किए जाने वाले पात्र एनसी(ई) की सूची और एसीएस (पी एण्ड सी) के अनुमोदन हेतु वासेअका में अफसरों का बोर्ड संघटित किया जाये।

11. एओसी, वायुसेना अभिलेख कार्यालय को पूर्व अनुच्छेदों में निर्धारित मापदण्डों के भीतर एनसी(ई) को पदोन्नति प्रदान करने का प्राधिकार प्रदान किया गया है।

12. एनसी(ई) टिंडल के पद के लिए पदोन्नति रिक्ति के उपलब्ध होने के बाद के महीने की पहली तारीख से प्राधिकृत की जाये।

पदोन्नति रोके रखना/जारी करना

13. पदोन्नति को रोके रखने/जारी करने के लिए एओसी, वासेअका सक्षम प्राधिकारी होगा। एनसी(ई) के संबंध में पदोन्नति को रोक कर रखने की गवर्निंग शर्तें और प्रक्रियाएं नीचे दिए गए के अनुसार निर्धारित की गई हैं:–

(क) जहाँ कमाडिंग अफसर या उच्च प्राधिकारी ऐसा मानते हैं कि उन एनसी(ई) के मामले में, जो पदोन्नति के लिए प्राधिकृत किए गए हैं और किसी गंभीर दुर्व्यवहार या अपराध जिसके कारण उसे दोषी पाया गया है या कोई जाँच की जा रही है या इस प्रकार के एनसी(ई) के किसी दुर्व्यवहार या अपराध में शामिल किसी मामले की जाँच की जानी है, इस कारण से पदोन्नति प्रभावित नहीं चाहिए। ऐसे एनसी(ई) की पदोन्नति के बारे में कमांडिंग अफसर या उच्च प्राधिकारी विचार करते समय मामले की पूर्ण परिस्थितियाँ बताते हुए वासेअका को सिफारिश करेगा।

(ख) जहाँ उपर्युक्त उपपैरा 13(क) के अनुसरा एनसी(ई) के मामले में इस प्रकार की सिफारिश की गयी है। इन आदेशों के बावजूद यदि कोई पदोन्नति जारी की गयी है, उस एनसी(ई) को तब तक पदोन्नत न किया जाए, जब तक वासेअका से इस प्रकार की सिफारिश पर कोई निर्णय प्राप्त नहीं हो जाता।

14. ऐसे सभी मामलों में जहाँ पदोन्नति जाँच या पूछताछ के कारण रोकी गयी है, ऐसे में जाँच/पूछताछ कार्यवाहियाँ शीघ्र करने हेतु प्रत्येक प्रयास किए जाने चाहिए और कमांडिंग अफसर द्वारा सिफारिशों अर्थात् पक्ष या विपक्ष सिफारिशों के सािथ निष्कर्ष सीधे वासेअका को सूचित किए जाने चाहिए और इसकी प्रतियाँ कमान को भी पृष्ठांकित की जानी चाहिए। उसके बाद वासेअका द्वारा पदोन्नति के लिए प्राधिकरण सूचित किया जायेगा।

टिंडल पद की पदोन्नति की पदच्युति/प्रत्यावर्तन

15. एनसी(ई) के संबंध में टिंडल पद की पदोन्नति की पदच्युति की निम्नलिखित गवर्निंग शर्तों और प्रक्रियाओं का पालन किया जाये—

(क) यदि एनसी(ई) को उसके कमांडिंग अफसर द्वारा टिंडल के पद पर रहने के अयोग्य समझा जाता है, तो उसे पुन एनसी(ई) के पद में प्रत्यावर्तित किया जायेगा। इस प्रकार के मामलों में, प्रत्यावर्तन के लिए आदेश जारी करने से पूर्व वासेअका द्वारा प्राधिकरण प्राप्त करना अनिवार्य है।

(ख) यदि एनसी(ई) खुली या बंद कैद (सिविल हिरासत सहित) में रखे जाने के कारण टिंडल की ड्यूटियो का पालन नहीं करता है, उसे शीघ्र एनसी(ई) मे प्रत्यावर्तित किया जाना चाहिए। स्टेशन/यूनिटों को इस प्रकार के प्रत्यावर्तन के लिए प्राधिकार मांगने के लिए शीघ्रातिशीघ्र वासेअका को सूचित करना होगा।

(ग) अगर वह बाद में दोषमुक्त हो जाता है या अन्य कारण से उसे ट्रायल पर नहीं लिया जाता है तो उसे इस प्रकार के प्राधिकरण की तारीख/दोष मोचन की तारीख से रिक्ति

स्थापना भरने के लिए पुनः नियुक्त किया जा सकता है। रैंक प्रत्यावर्तन के लिए प्राधिकरण वासेअका से मांगा जाना चाहिए।

(घ) एनसी(ई) के इस प्रकार के सभी मामले, जहाँ कोई सजा दी गयी है, वहाँ ऐसे मामलों मे यूनिट के कमांडिंग अफसर से उपयुक्तता रिपोर्ट के प्राप्त होने पर निर्णय करने वाले प्राधिकारी अर्थात एओसी, वासेअका द्वारा रैंक के प्रत्यावर्तन के लिए विचार किया जा सकता है। परन्तु रैंक के प्रत्यावर्तन पर विचार केवल रैंक के पदावनयन की तारीख से तीन महीने की अवधि के बाद ही किया जाना चाहिए।

16. यह नीति पत्र वायुसेना मुख्यालय की पत्र संख्या वासेमु/सी 40657/3/पीए (सीपीसी) दिनांक 30 अगस्त 06 के अनुसार परिचालित एचआरपी 31/06 का भाग–सी का अतिक्रमण करता है।

(पीएन प्रधान)
एवीएम
एसीएएस (पीए एण्ड सी)

वितरण

मु पवाक, भावासे
मु पूवाक, भावासे
मु केवाक, भावासे
मु दपवाक, भावासे
मु दवाक, भावासे
मु प्रक, भावासे
मु अनु क भावासे

} एसओए/एसएएएसओ के लिए

मु आईडीएस (प्रशा निदेशालय और कोओर्ड के लिए)
मु एएनसी (कमांडिंग अफसर के लिए)
मु एसएफसी (पीडी प्रशा के लिए)
वायुसेना मुख्यालय में सभी एसीएएस
वासेअका (एओसी)
वासे स्टे नई दिल्ली (एओसी)